सीगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए प्रकरण संख्या 67/2012(RCMS 2012/00005) अनवान् सरकार बनाम विपिन कुमार पुत्र बनवारीलाल मैं0 बिलंदी एण्ड कम्पनी श्रीकरनपुर निवासी 24सी ब्लाक श्रीकरनपुर

07.08.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रर्वतन अधिकारी एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री नवनीत कटारिया उपस्थित है। दोनों पक्षों द्वारा अपील लिखित बहस पूर्व में ही पेश की जा चुकी है।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि :

दिनांक 07.02.2011 को संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी (अभि.), श्रीगंगानगर ने इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम इस आश्य का प्रस्तुत किया कि दिनांक 31.01.2011 को दोपहर 1:00 बजे प्रवर्तन स्टाफ व खाद्य निरीक्षक दल तहसील श्रीकरणपुर में मिलावटी चीनी पुलिस द्वारा दिनांक 30.01.2011 को पकड़ी जाने की सूचना डीएसओ साहब को दूरभाष पर दिये जाने पर उनके निर्देशानुसार 24 सी–ब्लॉक, श्रीकरणपुर स्थित मैसर्स बिलंदी एण्ड कंपनी के पुलिस द्वारा सीज चीनी गोदाम पर वास्ते जांच पहुंचे। मौके पर गोदाम को विपन कुमार फर्म मालिक व रामकेश, एसआई पुलिस थाना श्रीकरणपुर की उपस्थित में खोला गया। गोदाम में एक कमरे में चीनी स्टॉक पर रखी मिली, दो साइडों में चीनी बोरियों में भरी एक–एक ढांग लगी हुई मिली। इन बोरियों के बीच में दो ढेरों मे चीनी खुली अवस्था में रखी मिली। दोनों ढेरों में मिलावट की आंशका पर खाद्य निरीक्षक, चिकित्सा विभाग द्वारा एक–एक सैम्पल लिया गया। खुली चीनी के ढेरों को मजदूर बुलवाकर 50–50 किलो वापस बैंग में भरवाई, उत्तर दिशा के ढेर से कुल 64 बैग व

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दक्षिण दिशा के ढेर से कुल 58 बैंग बने जो क्रमशः 32 व 29 क्विंटल हुआ। दुकानदार ने बताया कि चीनी कुल 75 क्विंटल मेरे द्वारा श्रीगंगानगर शुगरमिल से खरीदी गई थी जो मुझे मिल से ही भीगी अवस्था में मिली थी, यह मिलावट जो बताई जा रही है, मै चीनी को अरोरोट पाउडर से सुखा रहा था। दुकानदार विपनकुमार से जांच हेतु आरटीएएल अनुज्ञापत्र व स्टॉक रजिस्टर मंगवाया तो अनुज्ञापत्र गुम होने बताया। फर्म के गोदाम पर पाई कुल 122 क्विंटल चीनी मिलावट के लिए खुली अवस्था में पाये जाने के कारण संदिग्ध मानते हुए सभी चीजों को कब्जे में लेकर सीज किया। इस प्रकार विपन कुमार द्वारा अवैध रूप से चीनी में अरोरोट की मिलावट व चीनी के बंद बैग्स को खोल कर राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स (लाईसेंसिंग एंड कंट्रोल) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 13 की स्पष्ट अवहेलना की है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 सपठित धारा 7 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः 61 क्विंटल चीनी, 15—20 किलो अरारोट पाउडर, एक लोहे का झरना तथा एक बैग सीनी वाली इलैक्ट्रोनिक मशीन को राजसात करने के आदेश दिये जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में अप्रार्थी को 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नोटिस दिया गया जिस पर अप्रार्थी व विभागीय प्रतिनिधि की सुनवाई की जाकर अप्रार्थी द्वारा चीनी के बंद बैंग्स को खोलकर तथा अवैध रूप से चीनी में अरारोट पाउडर की मिलावट कर, राजस्थान ट्रेड आर्टिकल्स (लाईसेंन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 13 की अवेहना किये जाने के कारण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.10.2011 के द्वारा अप्रार्थी से जब्त शुदा 61 क्विंटल चीनी, 15—20 किलो अरारोट पाउडर, एक लोहे का झरना तथा एक बैंग सीने वाली इलैक्ट्रोनिक मशीन को राजसात करने के आदेश दिये गए थे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेश दिनांक 24.10.2011 के विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर (अपील प्राधिकारी) के समक्ष अपील संख्या 259/2011 विपन कुमार पुत्र बनवारी लाल मैसर्स बिलंटी एण्ड कम्पनी, निवासी 24 सी ब्लॉक, श्रीकरणपुर द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर माननीय सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 24.07.2012 के द्वारा इस न्यायालय का आदेश दिनांक 24.10.2011 को निरस्त करते हुए प्रकरण पर पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि अनुसार आदेश पारित के लिए यह मामला रिमाण्ड किया गया और अपीलार्थी को दिनांक 28.07.2012 को इस न्यायालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया और रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया।

विभागीय प्रतिनिधि व अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया और दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तथ्यों पर मनन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन था कि अप्रार्थी विपिन कुमार से जब्तशुदा उक्त 61 क्विंटल चीनी में अपमिश्रण होने के कारण उसके विरूद्ध ए.सी.जे.एम. कोर्ट, करणपुर में पी.एफ.ए. 1954 के अन्तर्गत एक प्रकरण संख्या 134/2011 व दूसरा 136/2011 के रूप में चिकित्सा विभाग की ओर से परिवाद पेश किये गये है और इसी जब्तशुदा चीनी के सम्बन्ध में धारा 6ए के अन्तर्गत भी कार्यवाही विचाराधीन है। दोनों कार्यवाहियां एक साथ नहीं की जा सकती। इसलिए इसी आधार पर उसके विरूद्ध 6ए की कार्यवाही समाप्त की जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन था अप्रार्थी विपन कुमार पुत्र बनवारी लाल मै. बिलन्दी एण्ड कम्पनी, श्रीकरणपुर के पास राजस्थान ट्रेड

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

आर्टिकल(लाईसेंन्सिग एण्ड कन्ट्रोल) आदेश 1980 के तहत जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 है जो उसके बड़े भाई अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल के नाम से था और उक्त फर्म मै. बिलन्दी एण्ड कम्पनी, श्रीकरणपुर का घरेलू बंटवारा होने पर 1998 से उक्त फर्म उसके हिस्से में आई और तब से आज तक इसका कारोबार अप्रार्थी विपन कुमार की देखता आ रहा है। सभी कार्यालयों में इसकी सूचना दी गई। उक्त अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 आजीवन शुल्क जमा करवाकर बना हुआ है, जो आज भी वैद्य है।

उनका आगे यह भी कथन है कि दुकान नं. 187 तहबाजारी में उनका कार्यालय है एवं दुकान नं. 40 में वे कारोबार करते है और नियमों के अनुसार पहले एसडीएम कार्यालय में व्यापारी को अपने नाम दर्ज करवाना पड़ता था लेकिन मौजूदा समय में सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म किया हुआ है। सन् 1998 के बाद सरकार ने यह व्यवस्था कर दी की व्यापारी द्वारा संधारित स्टॉक रजिस्टर में जिस गोदाम को दर्ज किया जाता है वह कानून रूप से वैद्य हैं। जांच कार्यवाही के समय 24 सी ब्लॉक स्टॉक रजिस्टर में दर्ज था।

उनका आगे यह भी कथन है कि जो उक्त 61 क्विंटल चीनी जो रसद विभाग द्वारा जब्त की जाकर सैम्पल लिये जाकर जांच हेतु प्रयोगशाला में जो भेजी गई है वह Plantation white sugar के नाम से भेजी गई है जबकि शुगर मिल से प्राप्त गट्टों पर, न ही शुगर मिल के बिल पर Plantation white sugar अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा जो गीली चीनी शुगर फैक्ट्री से प्राप्त की गई है उस पर Plantation white sugar के लिए गए नमूनों के आधार पर राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसलिए कार्यवाही समाप्त की जावे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि जो 61 क्विंटल चीनी जिला रसद विभाग द्वारा अप्रार्थी की पकड़ी गई है व शुगरमिल से गीली हालत में ही खरीद में मिली थी, जिसके 50—50 किलों के बैग थे जिसकी पुष्टि दी गंगागनर शुगर मिल द्वारा जारी इन्वायस संख्या 371 दिनांक 29.01.2011 से होती है। उक्त बैगों में प्राप्त गीली चीनी अरारोट पाउडर के माध्यम से सुखाई जा रही थी। इस प्रकार उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई चीनी में मिलावट नहीं की गई है और न ही अरारोट कोई हानिकारक पदार्थ है। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अप्रार्थी ने निरीक्षण के दौरान अपनी फर्म मैसर्स बिलंदी एण्ड कम्पनी, श्रीकरणपुर, 24 सी ब्लॉक करणपुर बताई थी और उक्त फर्म का आर.टी.अनुज्ञा पत्र मौके पर गुम होना बताया। जिसके सम्बन्ध में एसडीएम करणपुर के रसद लिपिक के से दूरभाष पर पूछताछ की तो उसने उक्त फर्म का चीनी अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 बताया और फर्म के स्टॉक रजिस्टर में उक्त गोदाम दर्ज होना बताया, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर आज तक कोई अपने नाम से अनुज्ञा पत्र होना पेश नहीं किया है जबकि विभाग द्वारा जांच करने पर उक्त अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 जो कि अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल का फर्म मै. बिलंदी एण्ड कम्पनी के नाम से जारी है न कि विपिन कुमार के नाम से जारी है। अप्रार्थी विपिन कुमार ने अपनी लिखित बहस में उक्त फर्म बिलंदी एण्ड कम्पनी, 24 सी ब्लॉक करणपुर को अपने भाई अशोक कुमार से वर्ष 1998 में बंटवारे में प्राप्त करना बताया और तब से स्वयं उक्त फर्म का कारोबार कर रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी विपिन कुमार बिना कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र के प्राप्त किये 1998 से ही चीनी का अवैध रूप से कार्य कर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन था कि जो 61 क्विंटल चीनी जिला रसद विभाग द्वारा अप्रार्थी की पकड़ी गई है व शुगरमिल से गीली हालत में ही खरीद में मिली थी, जिसके 50—50 किलों के बैग थे जिसकी पुष्टि दी गंगागनर शुगर मिल द्वारा जारी इन्वायस संख्या 371 दिनांक 29.01.2011 से होती है। उक्त बैगों में प्राप्त गीली चीनी अरारोट पाउडर के माध्यम से सुखाई जा रही थी। इस प्रकार उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई चीनी में मिलावट नहीं की गई है और न ही अरारोट कोई हानिकारक पदार्थ है। इसलिए उनके विरूद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि अप्रार्थी ने निरीक्षण के दौरान अपनी फर्म मैसर्स बिलंदी एण्ड कम्पनी, श्रीकरणपुर, 24 सी ब्लॉक करणपुर बताई थी और उक्त फर्म का आर.टी.अनुज्ञा पत्र मौके पर गुम होना बताया। जिसके सम्बन्ध में एसडीएम करणपुर के रसद लिपिक के से दूरभाष पर पूछताछ की तो उसने उक्त फर्म का चीनी अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 बताया और फर्म के स्टॉक रजिस्टर में उक्त गोदाम दर्ज होना बताया, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर आज तक कोई अपने नाम से अनुज्ञा पत्र होना पेश नहीं किया है जबकि विभाग द्वारा जांच करने पर उक्त अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 जो कि अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल का फर्म मै. बिलंदी एण्ड कम्पनी के नाम से जारी है न कि विपिन कुमार के नाम से जारी है। अप्रार्थी विपिन कुमार ने अपनी लिखित बहस में उक्त फर्म बिलंदी एण्ड कम्पनी, 24 सी ब्लॉक करणपुर को अपने भाई अशोक कुमार से वर्ष 1998 में बंटवारे में प्राप्त करना बताया और तब से स्वयं उक्त फर्म का कारोबार कर रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थी विपिन कुमार बिना कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र के प्राप्त किये 1998 से ही चीनी का अवैध रूप से कार्य कर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

रहा है जो राजस्था व्यापारिक वस्तु वस्तु(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 3 की अवहेलना है। इसलिए दी गंगानगर शुगर मिल से उसके द्वारा क्रय की गई जब्तशुदा 61 क्विंटल चीनी व अन्य जब्तशुदा सामान इसी आधार पर राजसात करने योग्य है।

विभागीय प्रतिनिधि का आगे यह भी कथन था कि चीनी मिलों की तरफ से दो तरह की चीनी के बिल काटे जाते है एक वह जो चीनी लेवी के रूप में सरकार को दी जाती है और उस चीनी का बिल लेवी शुगर तथा शेष चीनी जो खुले बाजार में बेची जाती है उसका बिल **फ्री शुगर लिखकर काटा जाता है। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के परिशिष्ट '6ख'' के बिन्दु संख्या क–7 मिठास अभिकर्त्ता–ए.07.01 "Plantation white sugar (Commenly known as sugar) में स्पष्ट है कि जो सैंपल लिया गया वो शुगर का ही लिया गया "Plantation white sugar" शुगर का ही टैकनिकल नाम** है।

उनका आगे यह भी कथन था कि खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश राजस्थान व्यापारिक वस्तुए (विशेष प्रावधान) संशोधन आदेश 2009 जारी किया जो दिनांक 30.09.2013 तक प्रभावी था तथा उक्त कार्यवाही इसी अवधि के दौरान की गई है। इस आदेश के खण्ड 3(यू) के अन्तर्गत चीनी को परिभाषित करते हुए अंकित है कि "Sugar Means any form of Sugar Containing more than 90% of Sucrose." प्रयोगशाला से प्राप्त दोनों सैम्पल रिपोर्टो में जब्तशुदा चीनी में 90 प्रतिशत से अधिक Sucrose पाई गई है। इसलिए जब्तशुदा चीनी खादय विभाग , राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश राजस्थान व्यापारिक वस्तुए (विशेष प्रावधान) संशोधन आदेश 2009 की चीनी की परिभाषा में आता है। इस प्रकार अप्रार्थी ने प्राप्त गीली चीनी के बैगों को खोलकर सुखाने हेतु उसमें अरारोट मिलाकर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या धारा 13 की अवहेलना है। इसलिए उक्त जब्तशुदा 61 क्विंटल चीनी व अन्य सामान राजसात करने योग्य है।

विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन था कि अप्रार्थी के विरूद्ध ए.सी.जे.एम., करणपुर के न्यायालय में उक्त जब्तशुदा चीनी में अपमिश्रण के कारण चिकित्सा विभाग द्वारा प्रकरण संख्या 134/2011 व 136/2011 पेश किये गए है उन प्रकरणों को इस न्यायालय में विचारधीन प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनो न्यायालय अपने अपने क्षेत्राधिकार में कानूनी कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इस न्यायालय द्वारा केवल राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 की अवहेलना पर ही कार्यवाही की जानी है। इसलिए चिकित्सा विभाग द्वारा उक्त प्रकरणों मे की जा रही कार्यवाही इस प्रकरण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। अतः अप्रार्थी का उक्त तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है।

मैनें उक्त तर्को पर मनन किया और पत्रावली का ध्यानपूर्वक किया तो पाया कि अप्रार्थी विपिन कुमार पुत्र बनवारी लाल फर्म मैसर्स बिलंदी एण्ड कम्पनी, 24 सी ब्लॉक, करणपुर से 61 क्विंटल गीली चीनी जो उसके द्वारा दी गंगानगर शुगर मिल से क्रय की गई थी, से प्राप्त बैंग्स को खोलकर उसमें सुखाने हेतु अरारोट मिलाये जाने के कारण जब्त की गई थी और इसके विरूद्ध 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए इस न्यायालय में दिनांक 07.02.2011 को रसद विभाग द्वारा इस न्यायालय में राजसात करने हेतु प्रकरण पेश किया गया। जिस पर दोनों पक्षों की सुनवाई की जाकर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.10.2011 के द्वारा 61 क्विंटल चीनी मय अन्य जब्तशुदा सामान को राजसात किये जाने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलार्थी विपिन कुमार द्वारा माननीय सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर में प्रस्तुत

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

की गई अपील संख्या अपील संख्या 259/2011 अनवान् विपिन कुमार बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2012 के द्वारा अपील स्वीकार करके इस न्यायालय का राजसात आदेश दिनांक 24.10.2011 निरस्त करके मामला पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया।

इस तथ्य को सिद्ध करने का भार आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के तहत अप्रार्थीगण पर है कि उनके द्वारा बीज नियन्त्रण आदेश 1983 के प्रावधानो की कोई अवहेलना नही की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> **"जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"**

अप्रार्थी विपिन कुमार पुत्र बनवारी लाल फर्म मैसर्स बिलंदी एण्ड कम्पनी, 24 सी ब्लॉक, करणपुर से 61 क्विंटल गीली चीनी जो उसके द्वारा दी गंगानगर शुगर मिल से क्रय की गई थी, से प्राप्त बैंग्स को खोलकर उसमें सुखाने हेतु अरारोट मिलाये जाने के कारण जब्त की गई थी और इसके विरूद्ध 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए इस न्यायालय में दिनांक 07.02.2011 को रसद विभाग द्वारा इस न्यायालय में राजसात करने हेतु प्रकरण पेश किया गया और मौके पर ही

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चिकित्सा विभाग द्वारा अप्रार्थी से जब्तशुदा चीनी के दो सैम्पल लिये जाकर प्रयोगशाला में जांच हेतु भिजवाए गए। अप्रार्थी विपिन कुमार ने उक्त जब्ती के समय अप्रार्थी फर्म के नाम अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 होना बताया और निरीक्षक द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति व स्टॉक रजिस्टर मांगे जाने अनुज्ञप्ति गुम होना बताया हैं। पूर्व निर्णय एवं रिमाण्ड के पश्चात तक अप्रार्थी द्वारा कोई अनुज्ञप्ति अपने नाम अथवा फर्म के नाम से होनी नहीं बताई है बल्कि अपनी लिखित बहस में अपने भाई अशोक कुमार का अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 फर्म बिलन्दी एण्ड कम्पनी के नाम से होना बताया है और 1998 से उक्त फर्म बंटवारे में अपने नाम से प्राप्त करना बताया है और **वर्तमान में गोदाम स्थल 24 सी ब्लॉक, करणपुर बताया है जबकि विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र की प्रति जो पेश की गई है** उक्त फर्म बिलन्दी एण्ड कम्पनी दुकान नं. 187 तहबाजारी, श्रीकरणपुर अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल के नाम से जारी है और गोदाम स्थल 24 सी ब्लॉक, करणुपर दिनांक 22.07.1994 को विलोपित किया जा चुका है। वक्त निरीक्षण उक्त गोदाम स्थल 24 सी ब्लॉक, करणपुर प्रभावशील हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस अनुज्ञा पत्र में 24 सी ब्लॉक करणपुर विलोपित होने के पश्चात 187 तहबाजारी करणपुर दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी उक्त अनुज्ञापत्र में दर्ज भिन्न स्थल 24 सी ब्लॉक, करणपुर पर जब्तशुदा चीनी का कारोबार कर रहा था। उक्त जब्तशुदा चीनी के सम्बन्ध में अप्रार्थी के भाई अशोक कुमार अनुज्ञापत्र धारक संख्या 139/1983 द्वारा भी कोई क्लेम पेश नहीं किया गया है।

अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 जिसके आधार पर अप्रार्थी विपिन कुमार चीनी व अन्य खाद्य पदार्थो का कारोबार वर्ष 1998 से बंटवारे के आधार पर कर रहा है वह अनुज्ञा पत्र अप्रार्थी विपिन कुमार के नाम से न

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

होकर उसके भाई अशोक कुमार के नाम से है। स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पास चीनी के कारोबार के लिए राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथानियंत्रण) आदेश 1980 के अन्तर्गत कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है। जबकि उक्त आदेश की धारा 3 के तहत अनुज्ञा पत्र होना आवश्यक हैं। इसप्रकार अप्रार्थी बिना किसी वैद्य अनुज्ञा पत्र के चीनी का अवैध कारोबार कर रहा था जो कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु(अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 3 की अवहेलना है। अतः उक्त जब्तशुदा चीनी व अन्य सामान राजसात करने योग्य है।

अप्रार्थी के अभिभाषक का यह कथन कि उक्त जब्तशुदा चीनी के सम्बन्ध में ए.सी.जे.एम., करणपुर में प्रकरण संख्या 134/2011 व 136/2011 विचारधीन है और इस न्यायालय में 6ए का हस्तगत विचाराधीन है। दो प्रकरण एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए इस प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जावे। इस संदर्भ में पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण संख्या 134/2011 एवं 136/2011 जब्तशुदा चीनी में अपमिश्रण पाये जाने के कारण खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के चिकित्सा विभाग द्वारा ए.सी.जे.एम., करणपुर में पेश किये गये है और 6ए का प्रकरण निरीक्षक रसद द्वारा इस न्यायालय में पेश होकर विचाराधीन है। **दोनों न्यायालय अपने –अपने क्षेत्र में कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्वतन्त्र न्यायालय है और दोनों प्रकरण अलग अलग अधिनियम के तहत विचारधीन है और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते है।** यदि किसी व्यक्ति कि खिलाफ धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही इस न्यायालय में विचारधीन हो एवं 3/7 आवश्श्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही अन्य न्यायालय में विचाराधीन होने पर कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी दशा में इस न्यायालय में विचारधीन 6ए की कार्यवाही को ए.सी.जे.एम., करणपुर की उक्त कार्यवाही प्रभावित नहीं करती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चीनी मिलों की तरफ से दो तरह की चीनी के बिल काटे जाते है एक वह जो चीनी लेवी के रूप में सरकार को दी जाती है और उस चीनी का बिल लेवी शुगर तथा शेष चीनी जो खुले बाजार में बेची जाती है उसका बिल **फ्री शुगर लिखकर काटा जाता है। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के परिशिष्ट '6ख" के बिन्दु संख्या क–7 मिठास अभिकर्त्ता–ए.07.01 "Plantation white sugar (Commenly known as sugar) में स्पष्ट है कि जो सैंपल लिया गया वो शुगर का ही लिया गया "Plantation white sugar" शुगर का ही टैकनिकल नाम है।**

खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश राजस्थान व्यापारिक वस्तुए (विशेष प्रावधान) संशोधन आदेश 2009 जारी किया जो दिनांक 30.09.2013 तक प्रभावी था तथा उक्त कार्यवाही इसी अवधि के दौरान की गई है। इस आदेश के खण्ड 3(यू) के अन्तर्गत चीनी को परिभाषित करते हुए अंकित है कि "Sugar Means any form of Sugar Containing more than 90% of Sucrose." प्रयोगशाला से प्राप्त दोनों सैम्पल रिपोर्टो में जब्तशुदा चीनी में 90 प्रतिशत से अधिक Sucrose पाई गई है। इसलिए जब्तशुदा चीनी खाद्य विभाग , राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश राजस्थान व्यापारिक वस्तुए (विशेष प्रावधान) संशोधन आदेश 2009 की चीनी की परिभाषा में आता है। इस प्रकार अप्रार्थी ने प्राप्त गीली चीनी के बैंग को खोलकर सुखाने हेतु उसमें अरारोट मिलाकर अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या धारा 13 की अवहेलना है। इसलिए उक्त जब्तशुदा 61 क्विंटल चीनी व अन्य सामान राजसात करने योग्य है।

जहां तक अप्रार्थी से जब्त की गई गीली चीनी के सम्बन्ध में अप्राथी का यह तर्क कि जब्त की गई चीनी जिसका सैम्पल लिया गया है है Plantation white sugar है जबकि उसे शुगर मिल से चीनी गीली चीनी के

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

रूप में प्राप्त हुई है। इसलिए उसके विरूद्ध राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथानियंत्रण) आदेश 1980 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस सम्बन्ध में खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश राजस्थान व्यापारिक वस्तुए (विशेष प्रावधान) संशोधन आदेश 2009 जारी किया जो दिनांक 30.09.2013 तक प्रभावी था तथा उक्त कार्यवाही इसी अवधि के दौरान की गई है। इस आदेश के खण्ड 3(यू) के अन्तर्गत चीनी को परिभाषित करते हुए अंकित है कि "Sugar Means any form of Sugar Containing more than 90% of Sucrose." प्रयोगशाला से प्राप्त दोनों सैम्पल रिपोर्टो में जब्तशुदा चीनी में 90 प्रतिशत से अधिक Sucrose पाई गई है। इसलिए जब्तशुदा चीनी खाद्य विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश राजस्थान व्यापारिक वस्तुए (विशेष प्रावधान) संशोधन आदेश 2009 की चीनी की परिभाषा में आती है। चीनी मिलों की तरफ से दो तरह की चीनी के बिल काटे जाते है एक वह जो चीनी लेवी के रूप में सरकार को दी जाती है और उस चीनी का बिल लेवी शुगर तथा शेष चीनी जो खुले बाजार में बेची जाती है उसका बिल फ्री **शुगर लिखकर काटा जाता है। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 के परिशिष्ट '6ख'' के बिन्दु संख्या क–7 मिठास अभिकर्त्ता–ए.07.01 "Plantation white sugar(Commenly known as sugar) में स्पष्ट है कि जो सैंपल लिया गया वो शुगर का ही लिया गया "Plantation white sugar" शुगर का ही टैकनिकल नाम** है। इसप्रकार उक्त प्रयोगशाला से प्राप्त सैम्पल रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध गीली चीनी के 100–100 किलों के बैंग में प्राप्त चीनी को 50–50 किलो बैंग की भरती में बदलने एवं उसमें मिलावट करके भी अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या 13 की अवहेलना की है। इसलिए उक्त आदेश राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अनुज्ञा पत्र संख्या 139/1983 फर्म बिलन्दी एण्ड कम्पनी, 24 सी ब्लॉक, करणपुर का अशोक कुमार पुत्र बनवारी लाल के नाम से है न कि अप्रार्थी विपिन कुमार पुत्र बनवारी लाल के नाम से। अप्रार्थी विपिन कुमार ने स्वयं अपने लिखित कथन में **उक्त फर्म को वर्ष 1998 में बंटवारें में अपने भाई से प्राप्त करना बताता है। वर्ष 1998 से लेकर आज तक अप्रार्थी विपिन कुमार ने अपने नाम से कोई अनुज्ञा पत्र जारी होना पेश नहीं किया है।** जिससे स्पष्ट है कि **अप्रार्थी विपिन कुमार पुत्र बनवारी लाल के पास राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के तहत 24 सी ब्लॉक, करणपुर के नाम कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र नहीं है** इसलिए उससे जब्त की गई 61 क्विंटल चीनी व अन्य सामान 15–20 किलो अरारोट पाउडर, एक लोहे का झरना तथा एक बैग सीनी वाली इलैक्ट्रोनिक मशीन को राजसात किये जाते है और जिला रसद अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि **उक्त जब्तशुदा 61 क्विंटल चीनी व अन्य सामान 15–20 किलो अरारोट पाउडर, एक लोहे का झरना तथा एक बैग सिलने वाली इलैक्ट्रोनिक मशीन का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाये।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर